सर्वोच्च प्राथमिकता

सं0- 18/2023/357/तीस-4-2023-30-4099(099)/16/2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2023

विषयः- उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा संचालित वाहन स्क्रैपिंग नीति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF), ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) एवं सड़क सुरक्षा योजनान्तर्गत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर (DTC) की अवस्थापना-निर्माण में गतिशीलता लाने हेतु "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" के सुसंगत प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं। वैश्विक महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित आर्थिक प्रगति को तीव्र गति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु देश-विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर सघन प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके क्रम में माह फरवरी, 2023 में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं और प्रदेश में व्यापक स्तर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश हेतु निवेशकों ने अपने विनिवेश सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। निवेशकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, उक्त के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116(ल०उ०)/2022, दिनांक 28.09.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" प्रख्यापित की है। इस नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2023/519202-2-18/2-18-2099/116/2022, दिनांक 12.01.2023 द्वारा स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) निर्गत की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी0वी0एम0पी0)/वाहन स्क्रेपिंग नीति का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.02.2021 को किया गया है। इस नीति का उददेश्य पर्यावरण से प्रदूषण को कम करना, सड़क सुधार, यात्रियों तथा वाहनों की सुरक्षा, ईधन खपत क्षमता में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुधार, वाहनों की मरम्मत लागत में कमी लाना और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी धनात्मक प्रभाव लाना है। इस नीति को सफल बनाने के लिए प्रदेश में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF), आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन(ATS) तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों (DTC) की स्थापना किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में उक्त नीति के क्रियान्वयन के क्रम में प्रदेश में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) एवं ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की अवस्थापना की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें हो रही धन एवं जनहानि को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा विषय को राज्य की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा प्रदेश में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु प्रत्येक जनपद में 01-01 ड्राइविंग ट्रेनिंग केन्द्र (DTC) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" एक ऐसी अम्ब्रेला नीति है, जिसके प्राविधान विभिन्न विभागों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्तर की इकाईयों की स्थापना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की निवेश सीमा के अनुरूप लागू होते हैं। एम0एस0एम0ई0 अधिनियम, 2006 व उसमें समय-समय पर हुये संशोधनों तथा भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 01 जून, 2020 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार ऐसे उद्यम जिनमें प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण में पूंजी निवेश रूपये 01 करोड़ तक तथा टर्नओवर रूपये 05 करोड़ तक हो, सूक्ष्म उद्यम होगें। लघु उद्यम हेतु पूंजी निवेश रूपये 10 करोड़ तक तथा टर्नओवर रूपये 50 करोड़ तक होगा। इसी प्रकार मध्यम उद्यम वे होंगे, जिनमें पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ तक एवं टर्नओवर रूपये 250 करोड़ तक होगा। इन मानकों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम नीति, 2022 में वर्णित वित्तीय प्रोत्साहन/छूट/उपादान विषयक प्राविधान यथा- **भूमि उपलब्धता, ब्याज प्रतिपूर्ति एवं स्टाम्प शुल्क में छूट, व्यापार करने में सुगमता, अनुकूल वातावरण का सृजन एवं संवेदनशील प्रशासन, वित्तीय सहायता - निवेश प्रोत्साहन सहायता, पूंजी उपादान, पूंजीगत ब्याज उपादान, क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण, गुणवत्ता तथा मानक, पर्यावरणीय आधारभूत संरचना और पहल के लिए प्रोत्साहन आदि** का लाभ व्यापक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की उपरोक्त आर0वी0एस0एफ0, ए0टी0एस0 एवं डी0टी0सी0 के अवस्थापना- निर्माण हेतु इच्छुक निवेशकों को भी प्राप्त होंगे।

4- उल्लेखनीय है कि ऐसी समस्त इकाईयों, जिनमें कच्चा माल की प्रकृति में परिवर्तन होता है अथवा इनपुट मैटेरियल के इस्तेमाल के बाद नया मैटेरियल तैयार होता है, को औद्योगिक श्रेणी में रखा जाता है। विषयगत प्रकरण में वाहन स्क्रैपिंग फैसेलिटी में प्रयुक्त इनपुट मैटेरियल प्रोसेसिंग के बाद अपनी प्रकृति बदल रहा है। अत: इस प्रकार की इकाइयों को "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" के अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में लाभ प्रदान किया जायेगा।

इसी प्रकार आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन तथा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर प्रथम दृष्टया सेवा-क्षेत्र की इकाइयां प्रतीत होती हैं, अत: इन सेवा-क्षेत्रों की इकाइयों को "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" के अन्तर्गत विनिर्माण संबंधी सेवाओं में 'कामन फैसिलिटी सेन्टर' के रूप में लाभान्वित किया जायेगा। परिवहन विभाग की उपरोक्त इकाईयों को "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" से लाभान्वित किये जाने हेतु ऐसी स्थापित होने वाली समस्त इकाईयां अनिवार्य रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करायेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF), ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) एवं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर (DTC) की अवस्थापना-निर्माण में निवेशकों को विनिवेश में सुगमता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु उपरोक्तानुसार "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" एवं तत्क्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2023/519202-2-18/2-18-2099/116/2022, दिनांक 12.01.2023 के प्राविधानों का लाभ निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, परिवहन अनुभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
9. समस्त उप परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in